

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

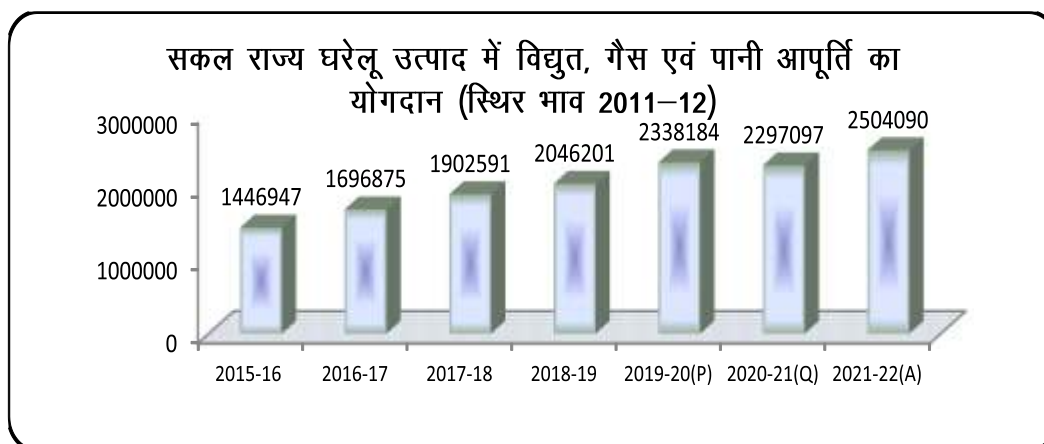
मुख्य बिन्दु

- विद्युत क्षेत्र (गैस एवं पानी आपूर्ति सहित) की वर्ष 2021-22(A) में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 25,04,090 लाख रूपए है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (नवंबर 2000) में 1,360 मेगावाट से बढ़कर 2,984.70 (अक्टूबर 2021 तक) मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 21 वर्षों में स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है।
- वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब की कुल लाईनें 5,205.46 सर्किट कि.मी. थीं, जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 13,142 सर्किट कि.मी. हो गई।
- वर्ष 2020-21 में वितरण हानि का प्रतिशत 16.84 रहा। जो कि वर्ष 2019-20 की अपेक्षा 0.03 प्रतिशत ज्यादा रहा।
- वर्ष 2020-21 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 59 लाख 03 हजार है, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 1.95 प्रतिशत अधिक है।
- हॉफ बिजली बिल स्कीम अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अगस्त 2021 तक राज्य के लगभग 40.22 लाख उपभोक्ताओं को रु. 405.89 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।
- वर्ष 2020-21 में राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 23,361.34 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो वर्ष 2019-20 की खपत से 2.49 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2020-21 में उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरुद्ध कुल रु. 13,294.53 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।
- वर्ष 2021-22 में माह 09 / 2021 तक 1,220 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया।
- “जवाहर सेतु योजना” अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है।
- परिवहन क्षेत्र (रेल के अलावा) की वर्ष 2021-22 (अग्रिम) भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 5,83,314 लाख रु. अनुमानित है।

विद्युत

11.1 आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। सम्पत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए आँकड़ों से स्पष्ट होता है।

तालिका 11.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011-12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	1446947	1696875	1902591	2046201	2338184	2297097	2504090
वृद्धि (प्रतिशत)	25.76	17.27	12.12	7.55	14.27	-1.76	9.01
योगदान (प्रतिशत)	8.03	8.72	9.51	9.16	10.01	9.95	9.77



11.1.1 राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

11.1.2 राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य गठन के समय (नवंबर 2000) में 1,360 मेगावाट थी, जो 21 वर्षों में बढ़कर (अक्टूबर 2021 तक) 2,984.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के निजी क्षेत्रों के विद्युत गृहों द्वारा माह अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक कुल 1,09,670 मिलियन युनिट विद्युत का उत्पादन किया गया।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

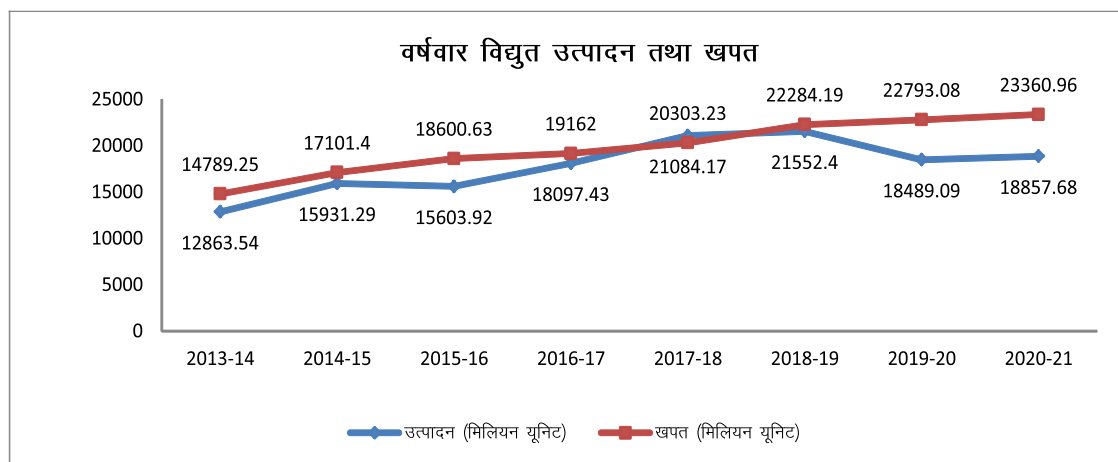
11.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या.:- विगत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(i) उत्पादन संकाय :-

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :- राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 21 वर्षों में बढ़कर 3,224.70 मेगावाट हो गई थी। कोरबा पूर्व तापविद्युत गृह की सभी इकाईयों को डीकमिशनिंग करने के पश्चात् वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2,984.70 मेगावाट हो गई है, इसमें 2,840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह-उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 18,857.681 मिलियन यूनिट (तापीय 18389.35 जलीय 462.532 एवं अन्य सह-उत्पादन 5.811 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया।

तालिका क. 11.2 वर्षवार उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा खपत								
वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	2424.40	2424.70	2924.70	3424.70	3424.70	3224.70	3224.70	2984.70
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	12863.54	15931.29	15603.92	18097.43	21084.17	21552.40	18489.09	18857.68
खपत (मिलियन यूनिट)	14789.25	17101.40	18600.63	19162.00	20303.23	22284.19	22793.08	23360.96



► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 11.3 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन			
क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	ताप विद्युत गृह		
1	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2 X 250 = 500	2007
2	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	—	1983 - 1986
3	कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र	1 X 500 = 500	2013
4	अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा जांजगीर-चांपा	2 X 500 = 1000	2016
	कुल ताप विद्युत क्षमता (मेगावाट)	2840	
II	जल विद्युत गृह —		
1	मिनीमाता हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह	3 X 40 = 120	1994, 1995
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 X 2.5 = 10	2004
3	जल विद्युत गृह सिकासार	2 X 3.5 = 7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 X 0.85 = 1.70	2003, 2009
	कुल जल विद्युत क्षमता (मेगावाट)	138.70	
III	अन्य		
1	भोरमदेव सह-उत्पादन, कबीरधाम	1 X 6 = 6	2006
	योग	2984.70 MW	

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लांट लोड फेक्टर का विवरण तालिका 11.4 में दर्शाया गया है (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :-

तालिका 11.4 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता						
क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (MU)			पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 20 से सितंबर 20	अप्रैल 21 से सितंबर 21	अंतर प्रति. (%)	अप्रैल 20 से सितंबर 20	अप्रैल 21 से सितंबर 21
राज्यीय	तापीय	11070.11	9967.305	-11.06	69.98	68.33
	जल विद्युत	362.355	338.349	-7.10		

तालिका 11.5 खपत उपलब्धियाँ		
विविध	वर्ष	उपलब्धियाँ
संयंत्र विद्युत खपत	2019-20	7.83 प्रतिशत
संयंत्र विद्युत खपत	2020-21	7.86 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2019-20	67.32 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2020-21	69.49 प्रतिशत
विशिष्ट तेल खपत	2019-20	0.522 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट तेल खपत	2020-21	0.583 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2019-20	0.720 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2020-21	0.736 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

11.2.1 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ वर्ष 2019–20 :-

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल 18,857.68 मिलियन यूनिट (तापीय 18,389.35 मिलियन यूनिट PLF 69.49% जलीय 462.532 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह-उत्पादन 5.811 मिलियन यूनिट) हुआ।
- चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31 अक्टूबर 2021 तक छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के विभिन्न संयंत्रों द्वारा कुल 9,967.31 मिलियन यूनिट (तापीय 9,967.31 मिलियन यूनिट PLF 68.33% जलीय 338.349 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह-उत्पादन 0.1333 मिलियन यूनिट) विद्युत उत्पादन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में (1x500 मेगावाट) कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत गृह द्वारा सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन 4,065.531 मिलियन यूनिट व संयंत्र उपयोगिता गुणांक 92.82% किया गया। (पिछला कीर्तिमान 4,009.976 मिलियन यूनिट व संयंत्र उपयोगिता गुणांक 91.55% वर्ष 2018–19 में था)
- (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व इकाई क्रमांक 01 ने दिनांक 14.03.2020 से 01.09.2020 (171 दिन 6:20 मिनट) तक निरंतर इकाई चलाने का कीर्तिमान प्राप्त किया है जो कि इस इकाई का सर्वकालिक अधिकतम है।
- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के जल विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 462.532 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो कि छ.ग. राज्य गठन के बाद का सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा है। पिछला कीर्तिमान वित्तीय वर्ष 2001–02 में 403.25 मिलियन यूनिट का था।
- (3x40 मेगावाट) मिनीमाता हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह, माचाडोली बांगो द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 419.18 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो कि छ.ग. राज्य गठन के बाद का सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा है। पिछला कीर्तिमान वित्तीय वर्ष 2001–02 में 403.25 मिलियन यूनिट का था।
- (3x40 मेगावाट) मिनीमाता हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह- अक्टूबर 21 में स्थापना काल से सर्वकालिक अधिकतम विद्युत उत्पादन 90.10 मिलियन यूनिट (CUF 100.92%) के साथ किया गया है, जो एक कीर्तिमान है।
- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह- अक्टूबर 21 में सर्वकालिक अधिकतम DSM charge शुल्क राशि ₹ 12.217 करोड़ अर्जित किया गया।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमि. के अपने केप्टिव कोल माइन्स गारे—पलमा III “राबर्टसन साइडिंग” से 23 अक्टूबर 2021 से कोयला मंत्रालय की अनुमति से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व के लिए कोल की सप्लाई प्रारम्भ की गई।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमि. के अपने केप्टिव कोल माइन्स गारे—पलमा III से 15 नवम्बर 2021 से नयी “घरघोडा साइडिंग” से कोयले की सप्लाई दोनो संयंत्रों (अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व) के लिए प्रारम्भ की गई।

11.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि :-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर के 33 विद्युत गृहों का औसत PLF वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50.26% रहा, वहीं छ.स्टे.पा.जन.कं. लिमिटेड 69.49% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में तृतीय स्थान पर रहा।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर के विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ 50.57 प्रतिशत रहा एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ. 57.84 प्रतिशत रहा जबकि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 68.33 प्रतिशत पीएलएफ के साथ स्टेट सेक्टर में चतुर्थ स्थान पर रहा।
- छ.स्टे.पा.ज.कं.लिमि. को मेसर्स. मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा “Best Water Management – in Ash handling” 2021 में winner एवार्ड प्राप्त हुआ।
- (1x500 मेगावॉट) कोरबा पश्चिम विस्तार को मेसर्स. मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा “Power Plant Performer < 500MW – Coal” in Thermal Power 2021 category में एवार्ड प्राप्त हुआ।
- (2x250 मेगावॉट) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को मेसर्स. Council of Enviro Excellence, Mumbai द्वारा “Excellence in Energy Efficiency” in the category IPP Coal 250 – 500 MW category में Runner-up एवार्ड प्राप्त हुआ।

11.2.3 ऑक्जिलरी खपत – ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 7.86 प्रतिशत रही।

11.2.4 प्रदत्त विद्युत :- वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ताप, जल एवं अन्य सह-उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा ऑक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 17,408.982 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 16,943.30 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 461.133 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह-उत्पादन) द्वारा 4.549 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

11.2.5 ईंधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2020-21) :- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ताप विद्युत गृहों की ईंधन खपत का विवरण सारणी अनुसार है।

तालिका 11.6 विद्युत संयंत्र में ईंधन खपत		
विद्युत गृह का नाम	विशिष्ट ईंधन खपत	
	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
1. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व	0.691	0.332
2. हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम		
विद्युत गृह-1	0.755	1.117
विद्युत गृह-2	0.757	0.559
3. कोरबा पश्चिम संकुल	0.756	0.833
4. कोरबा पश्चिम विस्तार (इकाई क्र-5)	0.685	0.342
5. अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा, जांजगीर-चांपा	0.746	0.601
6. CSPGCL (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी)	0.736	0.583

11.3 पारेषण की उपलब्धि :- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :- वर्ष 2020-21 के अंत में उच्चदाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या 121 तथा इनकी संयुक्त क्षमता 19,409 एम0 व्ही0 ए0 हो गई, जो वर्ष 2000 में क्रमशः 27 एवं 3,795 एम.व्ही.ए. थी।

तालिका 11.7 वर्षवार कंपनी द्वारा उपकेन्द्र की वोल्टेज वार जानकारी				
क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या		
		वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	वर्ष 2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)
1	400/220 के0व्ही0 उपकेन्द्र	4	4	4
2	220/132 के0व्ही0 उपकेन्द्र	25	25	25
3	132/33 के0व्ही0 उपकेन्द्र	92	94	94
योग		121	123	123

11.3.2. विद्युत लाईनों का निर्माण:- वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब की कुल लाईनें 5,205.46 सर्किट कि0मी0 थीं, जो कि 20 वर्षों में बढ़कर वर्ष 2020-21 में 13,142 सर्किट कि.मी. हो गई हैं।

तालिका 11.8 राज्य में वर्षवार विद्युत लाईनों का विवरण					
क्र.	वोल्टेज अनुपात	अति उच्चदाब लाईनें (सर्किट कि.मी.)			
		31 मार्च 2020 की स्थिति में	वर्ष 2020-21 में वृद्धि	31 मार्च 2021 की स्थिति में	सितम्बर 2021 की स्थिति में
1	400 के वी लाईनें	1918	0	1918	1918
2	220 के वी लाईनें	4032	0	4032	4032
3	132 के वी लाईनें	6802	390	7192	7395
योग		12752	390	13142	13345

11.4 वितरण कंपनी की उपलब्धि :- छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (सितं 2021) के दौरान उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :-

11.4.1. उपकेन्द्र निर्माण :- छ.रा.वि.मंडल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2,984 एम.व्ही.ए थी। 21 वर्षों में उपकेन्द्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 2020-21 के अंत में कुल 1,93,152 हो गये हैं तथा इनकी संयुक्त क्षमता 19,556 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि 21 वर्षों के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 545 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 555 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में संयुक्त क्षमता 19,589 एम.व्ही.ए. एवं संख्या 1,96,591 हो गई है।

तालिका क. 11.9 उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी				
क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या		
		वर्ष 2020-21 में सितं. 2020 तक	वर्ष 2020-21 में मार्च 2021 तक	वर्ष 2021-22 में सितं. 2021 तक
1	33 / 11 के.व्ही.उपकेन्द्र	1315	1321	1328
2	11 / 0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	184448	191831	195263
योग :-		174433	193152	196591

11.4.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :-

छ.रा.वि. मण्डल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनों की लंबाई 98,858 कि.मी. थी, जो 21 वर्षों में बढ़कर वर्ष 2020-21 तक 3,52,788 कि.मी. एवं 30.09.2021 की स्थिति में 3,56,292 कि.मी. हो गई है।

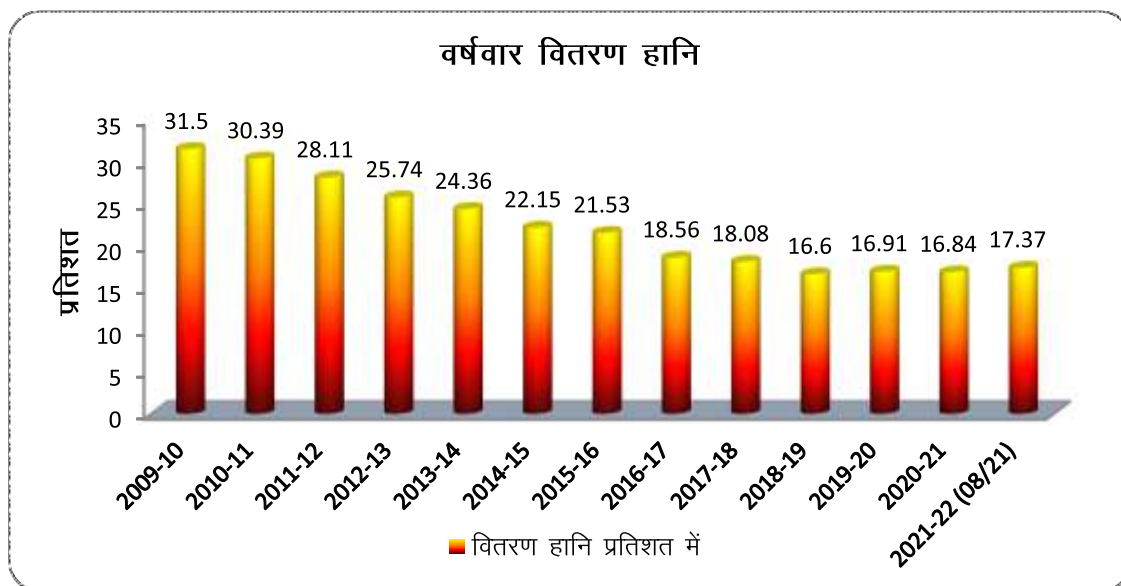
वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2020-21 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 13,908 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों का निर्माण किया गया जिससे वर्ष 2020-21 के अंत तक विद्युत लाइन की लंबाई कुल 3,52,788 कि.मी. हो गई थीं। इस प्रकार वर्षावधि में विद्युत लाईनों की लंबाई में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कंपनी गठन से 21 वर्षों की कार्यावधि में 257 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका क. 11.10 विद्युत लाईनों का निर्माण				
क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	वर्ष 2020-21 में सितं. 2020 तक	वर्ष 2020-21 में मार्च 2021 तक	वर्ष 2021-22 में सितं. 2021 तक
I उच्चदाब लाईनें				
1	33 के.व्ही. लाईने	22925	23305	23372
2	11 के.व्ही. लाईने	116974	122422	123168
कुल उच्चदाब लाईने		139899	145727	146540
II निम्नदाब लाईने				
3	400-230 वोल्ट्स	199668	207061	209752
महायोग		339567	352788	356292

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

11.4.3. वितरण हानि:— वर्ष 2020—21 में वितरण हानि का प्रतिशत 16.84 रहा। जो कि वर्ष 2019—20 के अपेक्षा 0.03 प्रतिशत ज्यादा रहा। वर्ष 2020—21 तक विगत 11 वर्षों तक निरंतर वितरण हानि में कमी परिलक्षित होती रही है। वर्ष 2021—22 में वितरण हानि 15 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है। वितरण हानि का विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका क. 11.11 वर्षवार वितरण हानि					
क्र.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2009-10	16512.28	11311.39	5200.89	31.50
2	2010-11	17435.98	12137.84	5898.14	30.39
3	2011-12	18325.03	13173.00	5152.03	28.11
4	2012-13	19124.00	14200.41	4923.59	25.74
5	2013-14	19553.25	14789.25	4764.00	24.36
6	2014-15	21966.91	17101.40	4866.00	22.15
7	2015-16	23702.45	18600.63	5101.82	21.53
8	2016-17	23530.00	19162.00	4368.00	18.56
9	2017-18	24787.00	20303.23	4483.68	18.08
10	2018-19	26716.90	22284.19	4434.71	16.60
11	2019-20	27892.57	23175.79	4716.78	16.91
12	2020-21	28092.95	23360.96	4792.00	16.84
13	2021-22 (08/2021)	13173.46	10885.21	2288.25	17.37



11.4.4. सामान्य विकास कार्य :-

छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा उप-पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :-

तालिका क्र 11.12 सामान्य विकास कार्य उपलब्धि					
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि (2020-21) दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में	उपलब्धि (2021-22) 31-03-2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021-22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	0	2	3
2	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	12	85	10
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	138	1033	343
4	नये विद्युत कनेक्शन के लिए निम्नदाब लाईन	कि.मी.	239+27 (कनवर्सन)	1895+43 (कनवर्सन)	1153+8 (कनवर्सन)
5	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	590	3364	1783
6	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	79	434	122
7	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	48936	134577	59887
i)	सिंगल फेस	संख्या	35782	96943	33716
ii)	थ्री फेस	संख्या	13126	37467	26112
8	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	28	167	59

11.5 मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना (एस.टी.एन) :- प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु इस योजना के अंतर्गत 204 नये उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। योजना में 211 नये 33/11 के.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना के साथ-साथ इस हेतु आवश्यक विद्युत लाईनों के विस्तार एवं विद्यमान 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के कार्य सम्मिलित है। योजना अंतर्गत स्वीकृत 33/11 के.व्ही. के 211 उपकेन्द्रों में से दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में 205 नये 33/11 के.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन 130 नग अति.पावर ट्रांसफार्मर एवं 152 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 04 उपकेन्द्रों में वन बाधा है एवं 02 उपकेन्द्रों के कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 18.78 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र 11.13 मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना (एस.टी.एन)				
विवरण	इकाई	उपलब्धि (2020-21) दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में	उपलब्धि (2021-22) 31-03-2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021-22) 30.09.2021 की स्थिति में
व्यय	करोड़ में	19.46	89.43	18.78
33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	1	5	3
33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र में अति. पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना	संख्या	1	11	4
स्थापित 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	संख्या	0	5	9

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अधोसंरचना की भूमिका को देखते हुए राज्य शासन द्वारा **मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की गई है** जिसके अंतर्गत प्रदेश के आवश्यकतानुरूप प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने हेतु 112 नये उपकेन्द्रों का निर्माण हेतु 817 करोड़ रुपये (03 वर्ष हेतु) के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2021-22 हेतु रु. 277 करोड़ लागत से 33/11 के.व्ही. के 27 नये उपकेन्द्र, पावर ट्रांसफार्मर के क्षमता आवर्धन 109 नग, 147 किमी. 33 के.व्ही. लाइन एवं 351 किमी. 11 के.व्ही. लाइन स्वीकृत है।

11.6 पंपों का ऊर्जीकरण :- राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73,369 कृषि पंप विद्यमान थे, जबकि राज्य गठन के पश्चात 18 वर्षों की अवधि में दिनांक 30-09-2021 की स्थिति में 4,01,698 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 4,75,067 कृषि पंप ऊर्जीकृत हो गए हैं। वर्ष 2021-22 में सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु राज्य शासन के बजट में रु. 150 करोड़ के अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक बजट में रु. 153 करोड़ इस प्रकार कुल 303 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2021-22 में दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 81.75 करोड़ व्यय किया गया है।

11.7 कृषक जीवन ज्योति योजना :- राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छूट अस्थाई कृषि पम्पों पर भी दी जाती है। नवम्बर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लैट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/ प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लैट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिंचाई पम्पों पर बिना पम्प की क्षमता के सीमा के उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत किसानों को 5 अश्व शक्ति तक द्वितीय पम्प के लिए रु. 200/- अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पम्प के लिए रु. 200/- अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति एवं 5 अश्व शक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए रु. 300/- अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 हेतु रु. 2,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में योजना के अंतर्गत लगभग 5.81 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

11.8 बी.पी.एल. (एकलवर्ती) कनेक्शन :- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल. (एकलवर्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत पर कोई शुल्क नहीं है। इन बी.पी.एल. कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक

राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को रु. 100 /— मासिक की दर से प्लेट रेट पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। दिनांक 31.08.2021 की स्थिति में तक कुल बीपीएल कनेक्शन की संख्या 17.79 लाख से अधिक जिन्हें वितरण कंपनी द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन बीपीएल कनेक्शनधारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021-22 हेतु राज्य शासन के बजट में रु. 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.9 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना :- मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित / उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना, तंग गलियों एवं व्यस्त मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल किया जाना, अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। वर्ष 2021-22 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रु. 100 करोड़, (जिसमें से रु. 85 करोड़ नगर निगम रायपुर के अंतर्गत केबल कार्य एवं रु.15 करोड़ प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कार्य) का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 10.45 करोड़ व्यय किया गया है।

11.10 मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना :- इस योजना के अंतर्गत ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे/टोले/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो राज्य में चल रही किसी अन्य योजना तथा राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त इन ग्रामों/मजरे-टोले/बसाहटों के बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान भी किया जा रहा है। यदि बसाहटों में कुछ अतिरिक्त लाईन विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो यह कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत रु. 45 करोड़ के अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक बजट में रु 58 करोड़, के साथ कुल 103 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 7.35 करोड़ व्यय किया गया है।

11.11 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) :- भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रांसफार्मर/11 के. व्ही. फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई टी. उपयोग को उपयोगी बनाने के कार्य किये जाने हैं। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में स्वीकृत सभी 32 नग 33/11 के.व्ही उपकेन्द्रों के कार्यपूर्ण किये जा चुके हैं।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका क. 11.14 एकीकृत विद्युत विकास योजना					
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक	उपलब्धि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक	उपलब्धि अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक
1	व्यय	रु. करोड़ में	46.85	114.98	19.87
2	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	0	0	0
3	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	10.3	26.47	6.96
4	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	33.7	132.40	37.18
वितरण हानि कम करने हेतु एल.टी. केबल योजना					
1	व्यय	रु. करोड़ में	36.31	98.42	30.06
2	निम्नदाब लाईन	कि.मी.	1079.49	4188.86	1145.32

11.11.1 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S., IT):— भारत सरकार ने पांच हजार से अधिक आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य के 182 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली के विस्तार हेतु रुपये 77.71 करोड़ लागत की आई.पी.डी.एस.(सूचना प्रौद्योगिकी) योजना स्वीकृत की गई है। आई.पी.डी.एस. (सूचना प्रौद्योगिकी) के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा आर.ई.सी.पी.डी.सी.एल. नई दिल्ली को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेन्सी (पी.एम.ए.) के लिये नियुक्त किया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

11.12 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.) :- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आधारभूत ढांचे और आवासीय विद्युतीकरण योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की मंजूरी भारत सरकार के कार्यालय के माध्यम से सूचित की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 24 घण्टे अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु फीडर पृथक्करण का कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किये जा सके। योजना में अविद्युतीकृत ग्राम/मजरा-टोला के कार्य भी शामिल हैं। इस हेतु भारत सरकार द्वारा रु. 1,247.74 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सम्मिलित सभी 80 नग नये 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

तालिका क. 11.15 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना					
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 की स्थिति में	उपलब्धि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक की स्थिति में	उपलब्धि अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 की स्थिति में
1	व्यय	रु. करोड़ में	67.99	48.69	46.99
2	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	0	0	0
3	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	संख्या	0	0	0
4	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	50.79	8.45	0.79
5	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	156.92	10.57	79.72
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1912	195	501
7	निम्नदाब लाईन	कि.मी.	496.98	309.33	210.41

11.13 घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत (हाफ बिजली बिल स्कीम) :- राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 01 मार्च 2019 से प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि को आधा करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत राज्य के समस्त बी.पी.एल. एवं अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इस हेतु राज्य शासन के बजट में वर्ष 2021-22 में रु. 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को उसके 400 यूनिट तक के खपत पर प्रभावशील दरों के अनुसार बिल की राशि में आधी राशि की छूट के उपरांत बिल जारी किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में रु. 848.79 करोड़ की छूट 39.63 लाख उपभोक्ताओं को दी गई है। वर्ष 2020-21 में अगस्त 2021 तक राज्य के लगभग 40.22 लाख उपभोक्ताओं को रु. 405.89 करोड़ की छूट योजना के अंतर्गत दी जा चुकी है।

11.14 विद्युत उपभोक्ता :- वर्ष 2020-21 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 59 लाख 03 हजार है जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 1.95 प्रतिशत अधिक है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2020-21 के अंत में बी.पी.एल. के 0.44 प्रतिशत, घरेलू के 51.50 प्रतिशत, गैर घरेलू के 6.06 प्रतिशत, औद्योगिक श्रेणी के 0.61 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 9.91 प्रतिशत है।

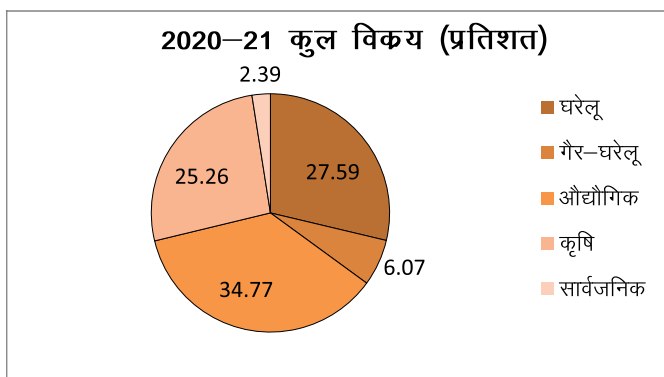
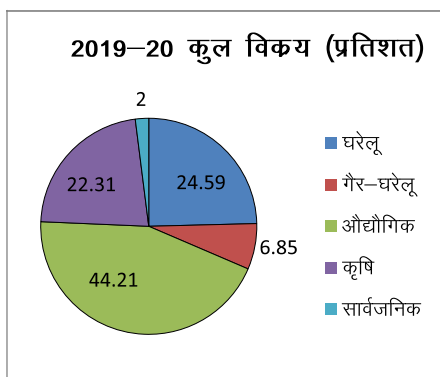
11.15 विद्युत उपभोग का स्वरूप :- वर्ष 2020-21 में राज्य के समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 23361.34 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2019-20 की खपत से 2.49 प्रतिशत अधिक है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 27.59 प्रतिशत घरेलू, 6.07 प्रतिशत गैर घरेलू, 34.77 प्रतिशत औद्योगिक, 25.26 प्रतिशत कृषि एवं 2.39 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकर एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। कुल खपत में से वर्ष 2020-21 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 6.05 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पम्प उपभोक्ताओं की खपत 25.26 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2019-20 में क्रमशः 8.78 एवं 22.31 प्रतिशत थी।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 11.16 राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण						
वर्ष	विवरण	घरेलू	गैर-घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
2015-16	कुल विक्रय (प्रतिशत)	26.26	12.34	37.65	21.82	1.93
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.69	7.08	33.98	37.92	2.23
2016-17	कुल विक्रय (प्रतिशत)	25.77	7.56	42.22	22.39	2.06
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.89	4.60	36.28	38.42	1.81
2017-18	कुल विक्रय (प्रतिशत)	24.60	7.15	42.00	23.88	2.45
2018-19	कुल विक्रय (प्रतिशत)	23.48	6.67	45.11	22.69	2.05
2019-20	कुल विक्रय (प्रतिशत)	24.59	6.85	44.21	22.31	2.00
2020-21	कुल विक्रय (प्रतिशत)	27.59	6.07	34.77	25.26	2.39

राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रेणीवार उपभोक्ताओं के विद्युत दर समान है, अतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपभोग की गणना पृथक-पृथक नहीं की गई है।



11.16 राजस्व संग्रहण :- वर्ष 2020-21 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरुद्ध कुल रु. 13,294.53 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो कि वर्ष 2019-20 में रु. 13,491.59 करोड़ था।

11.17 बकाया राशि :- वर्ष 2020-21 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि कुल रुपये 3,921.93 करोड़ है, जिसमें 2,130.13 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 1,791.80 करोड़ रुपये उच्चदाब उपभोक्ता पर बकाया है। जबकि वर्ष 2019-20 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि कुल रुपये 3,042.10 करोड़ थी, जिसमें 1,469.03 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 1,573.07 करोड़ रुपये उच्चदाब उपभोक्ताओं पर बकाया थी।

कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रु. 215.17 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों (स्थानीय निकाय) पर रुपये 886.42 करोड़ एवं रुपये 1,218.74 करोड़ राशि रेल्वे के विरुद्ध बकाया है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। रेल्वे के विरुद्ध बकाया राशि विवादित है।

तालिका क. 11.17 बकाया राशि (करोड़ में)								
वर्ष	बकाया राशि				कुल	दाब अनुसार उपभोक्ता का प्रकार बकाया राशि		कुल
	राज्य	सार्वजनिक	रेल्वे	अन्य		निम्न दाब	उच्च दाब	
2012-13	7.23	42.00	2106.34	433.09	2588.66	323.33	2265.33	2588.66
2013-14	27.00	45.00	2360.96	474.73	2907.69	323.13	2584.54	2907.69
2014-15	18.00	5.34	2610.23	631.68	3265.25	323.67	2941.58	3265.25
2015-16	1.56	16.03	2777.55	633.06	3428.20	391.25	3036.95	3428.20
2016-17	37.00	123.24	2968.92	460.67	3976.68	620.91	3355.77	3976.68
2017-18	35.72	118.61	3203.23	903.49	4261.05	753.94	3507.11	4261.05
2018-19	96.79	237.44	3405.27	1105.16	4844.66	1050.51	3794.15	4844.66
2019-20	129.15	471.87	1131.29	1309.79	3042.10	1469.04	1573.12	3042.16
2020-21	215.17	886.42	1218.74	1601.60	3921.93	2130.13	1791.80	3921.93

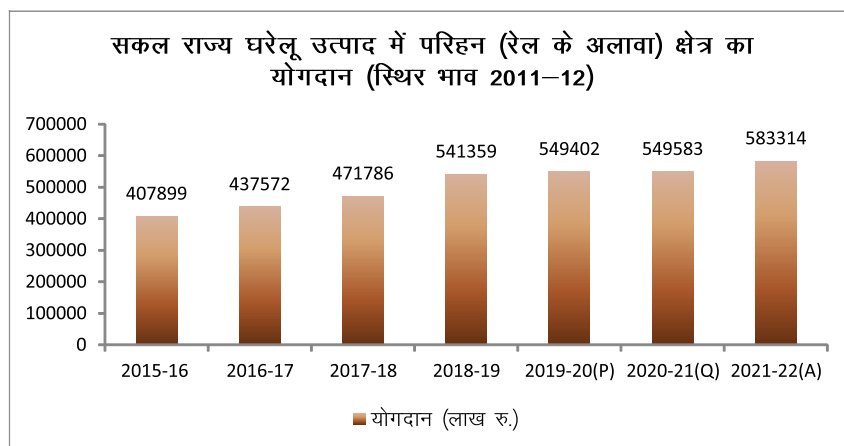
11.18 परिवहन एवं संचार

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी-रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबैंड (इंटरनेट सहित) सेवाएँ आदि प्रमुख हैं।

11.20.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित है:-

तालिका 11.18 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन (रेल के अलावा) क्षेत्र का योगदान (स्थिर भाव 2011-12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	407899	437572	471786	541359	549402	549583	583314
वृद्धि (प्रतिशत)	9.31	7.27	7.82	14.75	1.49	0.03	6.14
योगदान (प्रतिशत)	2.26	2.25	2.36	2.42	2.35	2.38	2.28

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22



11.19 भूतल परिवहन :-

11.19.1 सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़कों के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2020-21 में 2,295 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन जिसमें गिट्टीकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किये गये। 02 रेल्वे ओव्हर/04 अंडर ब्रिज, 47 वृहद पुल एवं 33 मध्यम पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है और 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज/04 अण्डर ब्रिज एवं 137 नग वृहद पुल प्रगति पर रहे। वर्ष 2020-21 में कुल राशि रु. 6,453.23 करोड़ आबंटन के विरुद्ध रु. 3,523.25 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2021-22 में माह 09/2021 तक 1,220 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। 19 वृहद पुल, 76 मध्यम पुल पूर्ण तथा 09 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज का निर्माण एवं 141 वृहद पुल कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021-22 में रु. 6,362.88 करोड़ आबंटन के विरुद्ध माह 09/2021 तक रु. 1,904.45 करोड़ का व्यय किया गया है।

11.19.2 छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्लपमेंट बैंक (ए.डी. बी.) की सहायता से तृतीय लोन अंतर्गत 25 मार्ग (लम्बाई 869 कि.मी.) हेतु रु. 3,535 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 24 कार्य प्रगति पर तथा 1 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है।

11.19.3 “जवाहर सेतु योजना” अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। इसके लिए बजट वर्ष 2019-20 में 100 पुल एवं वर्ष 2020-21 में 94 पुल कार्य शामिल किये गये हैं। वर्तमान में 90 पुल कार्य रु. 667 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 4 पुल कार्य पूर्ण, 58 पुल कार्य प्रगति पर तथा शेष कार्य निविदा स्तर पर है।

11.19.4 सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. द्वारा रु. 5,225 करोड़ के महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं उन्नयन की योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत अभी तक 490 कार्यों हेतु रु. 5,270.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इसके अंतर्गत अभी तक 473 कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है, जिसमें 83 कार्य की निविदा स्वीकृत तथा शेष कार्य हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

11.19.5 एल.डब्ल्यू.ई. (आर.आर.पी.—1) योजना अंतर्गत 51 सड़क (1,992 कि.मी.) एवं 03 सेतु हेतु कुल लागत रु. 3,170 करोड़ स्वीकृत हैं, इनमें से अब तक कुल 37 कार्य (35 सड़क, 03 सेतु) पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 16 कार्य प्रगतिरत हैं। अभी तक कुल 1,636 कि.मी. सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रु. 2,171 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। दिसम्बर 2018 से अब तक 06 कार्य एवं 158 कि.मी. की लंबाई पूर्ण एवं राशि रु. 162 करोड़ का व्यय किया गया है।

11.19.6 RCPLWE योजना (आर.आर.पी.—2) अंतर्गत अभी तक दो चरणों में 291 सड़क (2478 कि.मी) एवं 25 पुल हेतु कुल राशि रु. 1,637.08 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 64 सड़क एवं 06 पुल निर्माण पूर्ण किये गये हैं। 1,094 कि.मी. लंबाई में सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रु. 658 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

11.19.7 RCPLWE योजना (आर.आर.पी.—2) फेस—3 में 120 कार्य (104 सड़क, 16 पुल) की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है। इनमें से 86 कार्यों के डी.पी.आर. एस.टी.ए. एन.आई.टी. रायपुर द्वारा अनुमोदित कराकर ओमास में अपलोड करा दिया गया है। शेष 34 कार्यों में से 19 कार्य पी.एम.जी.एस.वाई./अन्य योजना में स्वीकृत है, 04 कार्य दोहरीकरण एवं 11 कार्य अतिसंवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं।

11.19.8 सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत कुल 96 कार्य (77 सड़क, 19 पुल) लंबाई 1,825 कि.मी. एवं लागत रु. 2,214.20 करोड़ स्वीकृत हैं। इनमें से अब तक कुल 82 कार्य (70 सड़क, 12 पुल) पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 13 कार्य (6 सड़क, 7 पुल) प्रगतिरत हैं एवं 1 कार्य विलोपित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित। योजनांतर्गत अब तक कुल 1,764 करोड़ व्यय किया जा चुका है। दिसम्बर 2018 से जून 2021 तक 17 कार्य पूर्ण एवं 679 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को बारहमासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जनसुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020—21 में “मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना” के अंतर्गत कुल 2,303 मार्गों की लम्बाई 383.29 कि.मी. लागत राशि रुपये 271.94 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 472 कार्य पूर्ण, 1577 कार्य प्रगति पर, 254 कार्य निविदा स्तर पर है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत कुल 1,725 मार्गों की लम्बाई 294.16 कि.मी. लागत राशि रुपये 207.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 1,725 कार्यों की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भवन कार्यों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस राजस्व तथा अन्य विभागों के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 205 भवन कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 373 भवन कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यों हेतु वर्ष 2020-21 में रु. 1,102.91 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध रु. 436.32 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यों पर माह 09/2021 तक रु. 882.44 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध रु. 144.61 करोड़ व्यय किया गया है। इस वर्ष अब तक 98 भवन कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 342 कार्य प्रगति पर हैं।

सड़कों की लम्बाई 03/2020 की स्थिति में

● राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई	—	3526 कि.मी.
● राज्य मार्ग की लम्बाई	—	4137 कि.मी.
● मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई	—	11581 कि.मी.
● ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लम्बाई	—	14146 कि.मी.
योग		33390 कि.मी.

11.20 वाहन :-वर्ष 2020-21 माह सितंबर 20 तक 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 21) तक 4,09,296 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2021-22 में माह अगस्त 21 तक 1,17,360 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

